कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या–2075/सा0प्रशा0/छः–4/2018 दिनांकः 4 मई, 2018

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) हरिद्वार/रूड़की/विकासनगर/कोटद्वार।

विषयः–**अन्य राज्यों की यात्रा में जाने वाली वाहनों ग्रीन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अवगत् कराना है कि अध्यक्ष, सयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति द्वारा अन्य प्रान्तों की यात्रा में जाने वाली वाहनों को ऋषिकेश कार्यालय से ग्रीन कार्ड जारी न करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया गया है। इसी सन्दर्भ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने अपने पत्र संख्या–442 दिनांक 04–05–2018 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर दिशा–निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश के पत्र दिनांक 04–05–2018 पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि अन्य प्रान्तों की यात्रा धामों को जाने वाली यात्री वाहनों द्वारा राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् पड़ने वाले प्रथम कार्यालय, हरिद्वार/रूड़की/विकासनगर/कोटद्वार से ग्रीन कार्ड प्राप्त किया जायेगा। ऋषिकेश कार्यालय से स्थानीय (राज्य की) वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या– (1)/समदिनांकित्।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित्।

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी (यात्रा)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
4– सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश।
5– अध्यक्ष, संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति, ऋषिकेश।
6– गार्ड फाईल।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।